न्यायालय जिला-कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपु
पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/135

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(93)सूकाअ/2021/846 दिनांक 30.4.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा स्वंय के आवास हेतु उपजिला कलेक्टर कार्यालय वजीरपुर के उपर बने कमरे व बरामदे मे लेटबाथ,रसोई व अन्य निर्माण कराया है उसके लिए प्राप्त बजट व उस पर हुए खर्चे के विवरण चाहिए एवं निर्माण करने का माह एवं वर्ष का विवरण चाहिए। दस्तावेज हो तो प्रमाणित सूचना दी जावे। 2. उक्त वर्णित निर्माण मे जन सहयोग से प्राप्त राशि व सामग्री देने वालो का नाम पता व राशि एवं सामग्री का विवरण एवं खर्चे का विवरण चाहिए। जिस अधिकारी के आदेश से राशि उगाई गयी है उसका व उगाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद का विवरण चाहिए। नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा उक्त वर्णित आवास मे निवास चालू करने का महीना व वर्ष का विवरण चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सूचना का अधिकार/2021/973 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र से वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय के उपर किसी प्रकार का कोई नवीन निर्माण नही करवाने के कारण खर्च का विवरण दिया जाना सम्भव नही है तथा पीठासीन अधिकारी वर्तमान मे शेरसिंह जाट के मकान मे किराये पर रहते है के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। अपीलान्ट द्वारा जरिये [illegible] निवेदन किया कि अपीलान्ट को जानबूझकर सूचना नही दी जा रही है [illegible] कलेक्टर शेरसिंह के मकान में नवम्बर–दिसम्बर,2020 मे रहे थे उसके बाद कार्यालय के उपर प्रथम [illegible] स्थित कमरो के आगे बरामदे मे पश्चिम दिशा की ओर के कम[illegible] को फूडवाकर उसमे द[illegible] निकलवाया एवं कमरो के लिए लेटबाथ का निर्माण बरामदे मे करवाया है साथ ही मध्य के कमरे मे से बरामदे मे दरवाजा निकालकर उसमे कमेर के अटैच एक स्टोर एव रसोई बनायी गयी साथ ही खुले बरामदे को बन्द करवाकर उसमे आगे छत पर जाने के लिए लोहे का दरवाजा लगवाया एवं सैक्शन लगाया गया है उक्त सभी कार्य बिना उच्चाधिकारियो की अनुमति के स्वंय एवं स्टॉफ की सहायता से जन सहयोग से राशि व सामग्री एकत्रित कर करवाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:35 IST
Reason: SelfAttested

G.v.

है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर द्वारा सरकारी भवन का उपयोग कर मकान किराया लिया जा रहा है तथा सरकारी बिजली का उपयोग किया जा रहा है। किन्तु प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मुताबिक जवाब उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के एडीओ कार्यालय के उपर कोई निर्माण कार्य नही करवाया है जिसके कारण खर्चे संबंधी विवरण दिया जाना सम्भव नही है तथा उपजिला कलेक्टर शेरसिंह जाट के मकान मे किराये पर रहने की जानकारी अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 973 दिनांक 20.7.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उपरान्त अवगत कराया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:35 IST
Reason: SelfAttested